रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022025-261311
CG-DL-E-25022025-261311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2025/फाल्गुन 6, 1946
No. 113] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2025/PHALGUNA 6, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 147(अ).—अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 मई, 2024 के सा.का.नि सं. 295 (असा.) के माध्यम से अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है और एतद्वारा अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिस तारीख को आधिकारिक राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 536, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा dsiwt-psw@gov.in और uttam.mishra27@gov.in पर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

मसौदा संशोधन

1. (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) (प्रथम संशोधन) नियम, 2025 कहा जा सकेगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. अंतर्देशीय पोत (परिकल्पना और संनिर्माण नियम), 2024 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 3 में, उप-नियम (1) में -

i. खंड (ड) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"स्पष्टीकरण. - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक लंबाई वाले जलयानों के सकल टनभार की गणना पोतों के टनभार माप पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम लंबाई वाले जलयानों के सकल टनभार की गणना वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टनभार माप) नियम, 1991 के नियम 2 के अनुसार की जाएगी।"

ii. खंड (डक) में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(डक) "मशीनरी स्थान" से बॉयलर, तेल ईंधन इकाइयां, भाप और आंतरिक दहन इंजन, जनरेटर और प्रमुख विद्युत मशीनरी, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग मशीनरी, और ऐसे स्थानों की जलरोधी सीमाओं के बीच के स्थान; और ऐसे स्थानों के लिए ट्रंक अभिप्रेत हैं।";

iii. खंड (ढक) में अंतर्विशष्ट किया जाएगा, अर्थात् –

"(ढक) "वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं" से किसी वर्गीकरण सोसायटी के तकनीकी मानक अभिप्रेत है, जिनके अनुसार जलयानों की परिकल्पना और संनिर्माण किया जाना अपेक्षित है।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 में –

i. उप-नियम (5) को हटा दिया जाएगा।

ii. उप-नियम (1) में, "प्रवर्ग 'क' के जलयान, जो निम्नलिखित किसी भी प्रकार के डेक जलयान हैं" शब्दों "और जोन 1 में नामत: प्रचालित कर रहे हैं," के पश्चात् शब्दों को हटा दिया जाएगा;

iii. उप-नियम (2) में, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"(2) जोन 1 में प्रचालित प्रवर्ग 'क' के जलयानों को वर्गीकरण सोसायटी की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों और परिकल्पना या वर्गीकरण सोसायटी की आवश्यकताओं के अनुसार परिकल्पित, निर्मित किया जाएगा और वर्गीकरण सोसायटी के सर्वेक्षण के अंतर्गत परिकल्पित, संनिर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा:

बशर्ते कि वर्गीकरण सोसायटी द्वारा किया गया सर्वेक्षण, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए सर्वेक्षण या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित सर्वेक्षण के अतिरिक्त होगा।";

iv. उप-नियम (3) को उप-नियम (4) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-नियम (4) से पूर्व निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3) जोन 2 और जोन 3 में प्रचालित करने वाले प्रवर्ग 'क' के जलयानों को वर्गीकरण सोसायटी की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों और परिकल्पना अथवा आवश्यकताओं के अनुसार परिकल्पित एवं संनिर्मित किया जाएगा और नामोद्दिष्ट प्राधिकारी अथवा अधिनियम की धारा 12 के उप-धारा (4) अथवा वर्गीकरण सोसायटी के तहत यथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के तहत परिकल्पित, संनिर्मित और अनुरक्षित किया जाएगाः

v. उपनियम (4) को उपनियम (5) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उपनियम (5) से पूर्व निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) प्रवर्ग 'ख' के जलयानों को वर्गीकरण सोसायटी की अनुसूची अथवा आवश्यकताओं में विनिर्दिष्ट मानकों और परिकल्पना के अनुसार, परिकल्पित एवं संनिर्मित किया जाएगा और नामोद्दिष्ट प्राधिकारी अथवा अधिनियम की धारा 12 के उप-धारा (4) अथवा वर्गीकरण सोसायटी के तहत यथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के तहत परिकल्पित, संनिर्मित और अनुरक्षित किया जाएगाः

vi. उप-नियम (4) को उप-नियम (5) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा, अर्थात्। -

“(5) प्रवर्ग ‘ग’ के जलयान जो 10 मीटर से कम लंबाई के हैं, जिन्हें अनुसूची में निर्दिष्ट मानकों और परिकल्पना या वर्गीकरण सोसायटी की आवश्यकताओं के अनुसार परिकल्पित और संनिर्मित किया जाएगा और नामोद्दिष्ट प्राधिकारी अथवा अधिनियम की धारा 12 के उप-धारा (4) के तहत यथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के तहत परिकल्पित, संनिर्मित और अनुरक्षित किया जाएगाः

vii. इस प्रकार पुन:क्रमांकित उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(6) उपनियम (3) और (4) के लिए, स्वामी यह निर्णय ले सकेगा कि जलयान की परिकल्पना, संनिर्माण और अनुरक्षण निर्दिष्ट प्राधिकारी या वर्गीकरण सोसायटी के सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाए अथवा नहीं।”

4. उक्त नियमों के नियम 8, 9, 16, 33, 38, 40, 42, 47, 59, 70, 72, 78, 80, 81 और 97 में, जहां कहीं भी "अनुसूची में निर्दिष्ट आवश्यकताएं और मानक" शब्द आते हैं, उनके बाद "या वर्गीकरण सोसायटी की आवश्यकताएं" शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 18 के उप-नियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि 100 जीटी से कम और जोन 3 में परिचालन करने वाले जलयानों के लिए, सिल की ऊंचाई 50 मिमी. से कम नहीं होगी।"

6. उक्त नियमों के नियम 52 के उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(1) मशीनरी स्थानों में मशीनरी की आवाज को 90 डेसिबल या उससे कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे और यदि इस आवाज में पर्याप्त कमी नहीं की जा सकती, तो अत्यधिक आवाज के स्रोत को उपयुक्त रूप से संवाहरोधन या पृथक किया

जाएगा, या यदि स्थानों पर मानव की उपस्थिति आवश्यक है, तो आवाज से बचने के लिए ध्वनिक सुरक्षा उपकरणों के रूप में उपस्कर प्रदान किया जाएगा।"

7. उक्त नियमों के नियम 68 के उप-नियम (1) के खंड (ड) के पश्चात, खंड (ड) में, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि 300 जी.टी. से कम के जलयानों के लिए, रिमोट कंट्रोल के स्थान पर इंडीकेटर अनुमत किया जा सकता है।"

8. उक्त नियमों के नियम 97 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) इस नियम में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अतिरिक्त, सभी क्राफ्ट्स में अनुसूची में निर्दिष्ट प्रासंगिक मानकों और वाहनों की लैशिंग के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी भी अन्य आवश्यकता का अनुपालन करना होगा।"

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी(1)]

डॉ. कमला कांत नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2025

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government proposes to amend the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 notified by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 295 (E) dated the 28th May, 2024 and hereby publish as required by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 536, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at dsiwt-psw@gov.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

Draft Amendment

1. (1) These rules may be called as Inland Vessel (Design and Construction) (First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessel (Design and Construction Rules), 2024 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 3, in sub-rule (1) -

i. after the clause (m), the following explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation. - For the purpose of this sub-rule, Gross Tonnage of vessels above 24 meters shall be calculated according to International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 whereas Gross Tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to Rule 2 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1991."

ii. clause (ma) shall be inserted, namely. –

"(ma) "machinery spaces" are spaces between watertight boundaries of a space containing the main and auxiliary propulsion machinery including boilers, oil fuel units, steam and internal combustion engines, generators and major electrical machinery, ventilation and air conditioning machinery, and similar spaces; and trunks to such spaces.";

iii. clause (pa) shall be inserted, namely. –

"(pa) "requirements of classification society" means the technical standards of any classification society according to which vessels are required to be designed and constructed."

3. In rule 4 of the said rules. –

i. sub-rule (5) shall be omitted.

ii. in sub-rule (1), after the words "Category 'A' vessels which are decked vessels of any of the following types", the words "and are operating in Zone 1, namely" shall be omitted;

iii. in sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted namely. –

"(2) Category 'A' vessels operating in Zone 1 shall be designed, constructed in accordance with the standards and design specified in the schedule or the requirements of classification society, and shall be designed, and constructed and maintained under the survey of classification society:

Provided that the survey by the classification society shall be in addition to the survey conducted by the Designated Authority or as may be delegated by the State Government under sub-section (4) of section 12 of the Act.";

iv. sub-rule (3) shall be renumbered as sub-rule (4) and before the sub-rule (4) so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely. –

"(3) Category 'A' vessels operating in Zone 2 and Zone 3 shall be designed and constructed in accordance with the standards and design specified in the Schedule or the requirements of classification society and designed, constructed and maintained under the survey of the designated authority or as may be delegated by the State Government under sub-section (4) of section 12 of the Act or classification society.";

v. sub-rule (4) shall be renumbered as sub-rule (5) and before the sub-rule (5) so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely. –

"(4) Category 'B' vessels shall be designed and constructed in accordance with the standards and design specified in the Schedule or the requirements of classification society and designed, constructed and maintained under the survey of the designated authority or as may be delegated by the State Government under sub-section (4) of section 12 of the Act or classification society.";

vi. sub-rule (4) shall be renumbered as sub-rule (5), namely. –

"(5) Category 'C' vessels are those of length less than 10 meters, which shall be designed and constructed in accordance with the standards and design specified in the Schedule or the requirements of classification society and designed, constructed, and maintained under the survey of the designated authority or as may be delegated by the State Government under sub-section (4) of section 12 of the Act."

vii. after sub-rule (5) so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely. –

"(6) For sub-rule (3) and (4), the owner may decide whether the vessel to be designed, constructed and maintained under the survey of the designated authority or the classification society."

4. In Rules 8, 9, 16, 33, 38, 40, 42, 47, 59, 70, 72, 78, 80, 81 and 97 of the said rules, after the words "requirements and standards specified in the Schedule" wherever they occur, the words "or the requirements of classification society" shall be inserted.

5. In sub-rule (3) of rule 18 of the said rules, the following proviso shall be inserted, namely.–

"Provided that for vessels below 100 GT and operating in Zone 3, the sill height shall not be less than 50 mm."

6. For sub-rule (1) of rule 52 of the said rules, the following shall be substituted, namely. –

"(1) Measures shall be taken to reduce machinery noise in machinery spaces to 90 decibels or lesser and if this noise cannot be sufficiently reduced, the source of the excessive noise shall be suitably insulated or isolated, or a refuge from noise in form of acoustic protection devices shall be provided, if the spaces are required to be manned."

7. After clause (e) of sub-rule (1) of rule 68 of the said rules, in clause (e), the following proviso shall be inserted, namely. –

"Provided that for vessels less than 300 GT, indicators may be permitted in lieu of remote controls."

8. For sub-rule (4) of rule 97 of the said rules, the following shall be inserted, namely. –

"(4) In addition to the requirements specified in this rule, all crafts are to comply with the relevant standards specified in the Schedule and any other requirements as may be specified by the Designated Authority for lashing of vehicles."

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(1)]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.02.25 22:45:25 +05'30'